MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/ 3060/ दिनांक 23 मार्च, 2020

:: आदेश ::

कोविड़–19, कोरोना वॉयरस के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण, उपचार के संबंध राज्य सरकार तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो तथा **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957"** में प्रदत्त शक्तियो तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकः एफ.9(58)M&H/2/09/पार्ट दिनांक 12/03/2020 के अनुक्रम में भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र की परिधि में स्थित समस्त होटल्स एवं रिसोर्टस् तथा सामाजिक एवं गैर सामाजिक संस्थाओ द्वारा निर्मित समस्त भवनो एवं धर्मशालाओ को मय कार्मिक एवं उपलब्ध समस्त संसाधनो सहित तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को सुपुर्द किया जाता हैं।

आदेश की पालना का उत्तरदायित्व अपने–अपने क्षेत्र में सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा एवं आयुक्त नगर परिषद भीलवाड़ा का होगा।

आदेश की अक्षरशः पालना सभी संबंधित द्वारा की जावे। अधिग्रहित की गयीं होटल्स, रिसोर्टस्, सामाजिक एवं गैर सामाजिक संस्थाओ द्वारा निर्मित/स्वामित्व के समस्त भवनो एवं धर्मशालाओ की सूचना निम्न प्रारुप में जिला कार्यालय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा आज ही प्रस्तुत की जावे।

क0सं0	होटल, रिसोर्ट, धमशालाओ का नाम एवं क्षेत्र	संचालक का नाम एवं मोबाईल नम्बर	रूम एवं हॉल की संख्या	न्यास/परिषद द्वारा नियुक्त कार्मिक का नाम एवं मोबाईल नम्बर जिससे इस होटल/रिसोर्ट के संबंध में समन्वय किया जा सके

23/3/2020
(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. उप महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
11. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

13. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा
14. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
15. समस्त प्रबन्धक एवं संचालक, होटल्स/रिसोर्टस्/सामाजिक एवं गैर सामाजिक संस्थाओ द्वारा निर्मित/स्वामित्व के समस्त भवनो एवं धर्मशाला, द्वारा सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा/आयुक्त नगर परिषद भीलवाड़ा
16. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश/अपील का समाचार पत्रो, मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे। मिडिया कवरेज में प्रमुखता दी जावे।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner